# कार्यालय जिलाधिकारी, हरिद्वार।

संख्याः– 665 / खनन सहा0(नीलामी) / 2019 दिनांकः– 7 जून, 2019

## सार्वनजिक नीलाम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 944 / 2018 / 90ख / 16, दिनांक 13 अप्रैल, 2018 के अनुसार ग्राम रामपुर रायघटी अह0, रघुनाथपुर उर्फ बालावाली तथा कलसिया तहसील लक्सर में तटबन्ध के समीपवर्ती गांव की बाढ़ से एवं जान माल की सुरक्षा (आपदा रोकथाम) हेतु मानसून के दृश्टिगत जनपद की तहसील लक्सर के ग्राम रामपुर रायघटी अह0, रघुनाथपुर उर्फ बालावाली तथा कलसिया में रिवर ट्रेनिंग नीति, 2016 के अनुसार आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 34 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जनपद के स्थानीय व्यक्तियों / संस्थाओं से निम्न लॉट की सार्वजनिक नीलामी दिनांक 14.06.2019 **को अपरान्ह 01.00 बजे सभागार, कलैक्ट्रेट, हरिद्वार स्थित रोशनाबाद** में होगी।

(निजी भूमि)

| क्र0 सं0 | लॉट संख्या | लॉट / ग्राम का नाम | ख0सं0 / रकबा (है0में) | चिन्हित किये जाने वाली उपखनिज की मात्रा घनमीटर में | रायल्टी मूल्याकंन. रू0 180.18 प्रति घनमीटर (रू0) | रायल्टी का **25 %** **DMFT** में अंशदान अतिरिक्त रूप से देय होगा (रू0) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | रामपुर रायघटी अह0 | 3 / 22,3 / 23म,3 / 41म / 1.1609 | 11609 | 20,91,709.62 | 4,46,946.00 |
| 2. | 12 | रामपुर रायघटी अह0 | 17 / 13म / 0.4100 | 4100 | 7,38,738.00 | 1,57,850.00 |

(निजी भूमि)

| क्र0 सं0 | लॉट संख्या | लॉट का नाम | खसरा संख्या / रकबा है0 | चिन्हित किये जाने वाली उपखनिज की मात्रा घनमीटर में | रायल्टी मूल्याकंन रू0 180.18 प्रति घनमीटर (रू0) | रायल्टी का 25 **%** **DMFT** में अंषदान अतिरिक्त रूप से देय होगा (रू0) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | ग्राम रघुनाथपुर उर्फ बालावाली एवं कलसिया | 1246म, 1352म / 3. 0600 | 30600 | 5513508 | 1178100 |
| 2 | 02 | ग्राम रघुनाथपुर उर्फ बालावाली एवं कलसिया | 1246म, 1351म / 2. 7400 | 27400 | 4936932 | 1054900 |
| 3 | 03 | ग्राम रघुनाथपुर उर्फ बालावाली | 1246म, 1275म, 1351म / 2.7400 | 27400 | 4936932 | 1054900 |
| 4 | 04 | ग्राम रघुनाथपुर उर्फ बालावाली एवं कलसिया | 1275म, 1351म / 2. 7400 | 27400 | 4936932 | 1054900 |
| 5 | 05 | ग्राम रघुनाथपुर उर्फ बालावाली | 1275म, 1351म, 1350म / 2.7400 | 27400 | 4936932 | 1054900 |
| 6 | 06 | ग्राम रघुनाथपुर उर्फ बालावाली | 1275म, 1274म, 1276म / 3.2332 | 32332 | 5825580 | 1244782 |
| 7 | 08 | ग्राम रघुनाथपुर उर्फ बालावाली | 1275म, 1269म, 1268म, 1246म, 1265म, 1264म 1267म, 1271म / 3. 2332 | 32332 | 5825580 | 1244397 |
| 8 | 11 | ग्राम रघुनाथपुर उर्फ बालावाली | 1340म, 1344म, 1341म, 1346म, 1339म, 1350म, 1345 / 3.6785 | 36785 | 6627921 | 1416223 |

(सरकारी भूमि)

| क्र0 सं0 | लॉट संख्या | लॉट का नाम | खसरा संख्या रकबा है0 | चिन्हित किये जाने वाली उपखनिज की मात्रा घनमीटर में | रायल्टी मूल्याकंन रू0 180.18 प्रति घनमीटर | रायल्टी का 25 % DMFT में अंषदान अतिरिक्त रूप से देय होगा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | कलसिया | 559म, 560म,582म, 591म, 592म, 593म 594म,595म,551म / 14.1780 | 135780 | 24464840 | 5227530 |
| 2 | 02 | कलसिया | 594म, 595म, 596म, 597म, 591म / 13.00 | 130000 | 23423400 | 5005000 |

नीलामी की शर्तः–

1–नीलामी के समय बोलीदाता को उपखनिज के अनुमानित मूल्य राशि का 25 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जिलाधिकारी, हरिद्वार के नाम बयाना धनराशि के रूप में जमा करना होगा।
2–नीलाम प्राप्तकर्ता को उपरोक्त उपखनिज की नीलामी की धनराशि का 1/4 भाग उसी दिन एवं अवशेष धनराशि को नीलाम स्वीकृति से 03 कार्य दिवसों के अन्दर निर्धारित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत जमा किया जायेगा।
3–सार्वाधिक बोलीदाता को छोड़कर अन्य बोलीदाताओ के जमा बैंक ड्राफ्ट जिलाधिकारी महोदय द्वारा नीलाम स्वीकृति के उपरान्त वापिस कर दिये जायेगें।
4–उपरोक्त उपखनिज की नीलामी से प्राप्त राजस्व पर राजकीय कर का नीलामी प्राप्तकर्ता द्वारा पृथक से सम्बन्धित विभाग को भुगतान किया जायेगा।
5–नीलाम प्राप्तकर्ता को बोली सर्वाधिक बोली (रायल्टी) की धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त रूप से ''जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास हरिद्वार'' कोष में जमा कराना होगा।
6–नीलामी प्राप्तकर्ता उपखनिज जो हैं, जहॉ हैं, जैसा हैं की स्थिति में नियमानुसार स्वंय निस्तारित.करेगा।
7–नीलाम स्वीकृति की दिनांक से जिला कार्यालय द्वारा वर्षाकाल के दौरान खनन बन्दी की घोषणा तक की अवधि के भीतर उपखनिज की निकासी कार्यालय उप निदेशक(खनन/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, कलैक्ट्रेट परिसर रोशनाबाद, हरिद्वार से प्राप्त ई–रवन्ना (एम0एम0–11) के आधार पर की.जायेगी।

8–नीलामी प्रकिया के बाद उपखनिज की चोरी एवं खुर्दबुर्द होने के लिए प्रशासन जिम्मेदार नही होगा।

9–नीलामी प्राप्तकर्ता सिंचाई विभाग के पर्यवेक्षण में उपखनिज के निकासी का कार्य करेगा तथा सिंचाई विभाग बाढ़ सुरक्षा, जानमाल की सुरक्षा की दृष्टि से तथा नदी चैनेलाईज करने के लिए तकनीकि दृष्टि से किसी भी लॉट की कार्य दिशा व क्षेत्र को जिलाधिकारी की अनुमति से परिवर्तित अथवा समाप्त करा सकता है।

10–यदि उपखनिज निकासी करते समय उपखनिज एकत्रित स्थल, गंगा नदी तटबन्ध, सार्वजनिक मार्ग एवं पुल आदि को कोई क्षति पहुॅचती हैं तब उसकी क्षति पूर्ति नीलाम प्राप्त कर्ता द्वारा की जायेगी।

11–उपखनिज की निकासी करते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि सार्वजनिक मार्ग अवरूद्व न हो एवं जन सामान्य को असुविधा न हो।

12–अन्य शर्ते यदि कोई होगी तब उन्हें नीलामी स्थल पर नीलामी की दिनांक को बताया जायेगा।
13–मा0 हरित न्यायाधिकरण(एन0जी0टी0) एवं पर्यावरण नियंत्रण ईकाई के मानको का पालन करना होगा।
14–नीलाम प्राप्तकर्ता द्वारा उपखनिज की निकासी सूर्य उदय एवं सूर्यास्त तक ही की जायेगी।

15–जिलाधिकारी हरिद्वार का निर्णय अन्तिम होगा और जिलाधिकारी हरिद्वार को बाढ़ सुरक्षा, जानमाल की सुरक्षा की दृष्टि अथवा अन्य किसी भी आकस्मिक स्थिति में कार्य बन्द कराये जाने का अधिकार होगा।

16–किसी भी विवाद का क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय हरिद्वार को होगा।

17–नीलाम प्राप्तकर्ता द्वारा कार्यादेश से पूर्व भू–स्वामी की सहमति प्राप्त कर कार्यालय में उपलब्ध करानी आवश्यक होगी ।

18– उक्त लॉटों पर शासनादेश संख्या–1590/VII-I/90–ख/2016 दिनांक 30 सितम्बर, 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड नीति–2016 एवं तत्क्रम में शासनादेश संख्या–944/VII-I/2018/390–ख/16 दिनांक 13 अप्रैल, 2018 के अन्तर्गत दी गई व्यवस्थानुसार के अनुसार ही कार्य किया जायेगा।

अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)/
अध्यक्ष, नीलामी समिति,
हरिद्वार।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि–1–जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित की उपरोक्त नीलामी सूचना को वेवसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

2–उपजिलाधिकारी–हरिद्वार/रूड़की/लक्सर/भगवानपुर/उपनिदेशक(खनन/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, कलैक्ट्रेट परिसर रोशनाबाद, हरिद्वार/नाजिर सदर,कलैक्ट्रेट, हरिद्वार को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

3–सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला एवं दैनिक जागरण को इस आशय से कि इस विज्ञप्ति को शासकीय दर पर प्रकाशित कराते हुए एक प्रति उक्त समाचार पत्र की एंव बिल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)/
अध्यक्ष, नीलामी समिति,
हरिद्वार।